Annexure - 7

FORM-I

(For linear projects)

Government of Jharkhand

Office of the District Magistrate and Deputy Commissioner, PurviSinghbhum, Jamshedpur

Memo No. 1182/2018 Date 25.6.2018

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement or rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that Total 5.77 acres(2.33 hectares) of forest land in Kastulia Mouza proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Road Construction Department, Road Division, Jamshedpur, for the construction of 2-lane road from Pipla (NH.-33) to Govindpur Anna Chowk in the state of Jharkhand (East Singhbhum District) falls within jurisdiction of the following Villages in Dhalbhum Sub-division :-

(i) Kastulia 5.77 acres(2.33 hectares) in Jamshedpur Anchal.

| Plot No. | Area in Acres. |
|---|---|
| 213 | 0.217 |
| 118 | 0.718 |
| R/F | 4.830 |
| Total | 5.765 Acres say 5.77 Acres(2.336 Hec.) |

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement for rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 has been carried out for the entire 5.77 acres (2.33 hectares) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Village Forest Rights Committee, Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure-1 to annexure-4.

(b) The diversion of forest land for above mentioned purpose does not attract provisions of section 3(2) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl.: As above

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER * EAST SINGHBHUM, JAMSHEDPUR *

Signature 25.6.18

DEPUTY COMMISSIONER
EAST SINGHBHUM, JAMSHEDPUR

(Full name and official seal of the Deputy Commissioner)

25/6/18

Executive Engineer
RCD Road Division
Jamshedpur

Annexure-1



ग्राम सभा

आज दिनांक 25/5/18 को मौजा कस्तुलिया थाना नं. 1206 के अन्तर्गत वनभूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का अपयोजन के सम्बन्ध में ग्रामीणों तथा ~~[illegible]~~ ग्राम वन अधिकार समिति की उपस्थिति में ग्राम के ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पथ प्रमंडल, जमशेदपुर अंतर्गत चिलगु मोड़ एन एच 33 से चौकाबुरु होते हुए गोविन्दपुर आसना चौक तक सड़क निर्माण कार्य हेतु ~~[illegible]~~ वन भूमि तथा जंगल झाड़ी प्लॉट नं० 213, 118 एवं R/F रकबा 0.717, ~~[illegible]~~ 0.718, 4.83 एकड़ कुल ~~[illegible]~~ 5.77 एकड़ भूमि संभावित अपयोजन होना है। इस सम्बन्ध में सबको जानकारी दी गई। यह सरकार का जनकल्याणकारी परियोजना है। वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में की गई चर्चा एवं विचार वार्ता निर्णय के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

(1) Goutam Singh
(2) कार्तिक सिंह
(3) Manohar Singh
(4) मंगल सिंह
(5) रंजीत सिंह
(6) रंजीत सिंह
(7) Kunti Singh
(8) विश्वजीत सिंह
(9) अंजना सिंह
(10) गुलापी सिंह
(11) सावित्री सिंह
(12) Manik Singh
(13) सुधिश्री सिंह
(14) चन्द्रो सिंह
(15) प्रकाश सिंह
(16) Akash Singh
(17) शंकर सिंह
(18) Bishnu Singh
(19) कृष्ण सिंह
(20) Chandana Singh
(21) Anju Singh
(22) Chakrodhor Samad
बैद्यनाथ सिंह
(23) Kedar Samad
(24) Sohan Singh
(25) अजय सिंह
(26) Budh Singh

Dinabandhu Singh

R Singh

[illegible]
Executive Engineer
RCD Road Division
Jamshedpur

Babulal Singh
ग्राम प्रधान

Annexure-2

आज दिनांक–19.5.2018 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, अनुमण्डल वन अधिकार समिति, धालभूम, जमशेदपुर की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम–2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति, धालभूम, जमशेदपुर की बैठक हेतु निम्नांकित सदस्य चयनित है:–
   - क. अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर–सह–अध्यक्ष
   - ख. कार्यपालक दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर–सह–सदस्य
   - ग. सहायक वन संरक्षक, जमशेदपुर वन प्रमण्डल–सह–सदस्य
   - घ. श्रीमती सुकूरमुनी टुडू, प्रमुख, पोटका–सह–सदस्य
   - ङ. श्रीमती शिवानी सिंह, पंचायत समिति सदस्य, हितकु पंचायत–सह–सदस्य
   - च. श्री धीरेन भुईयाँ, पंचायत समिति सदस्य, भुला पंचायत–सह–सदस्य
2. उपस्थिति:– पंजी में दर्ज है।
3. कार्यवाही :–

(i) सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को स्वागत करते हुए बताया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–913/क०, दिनांक–19.06.2017 द्वारा जमशेदपुर अचलान्तर्गत मौजा–भागाबांध, पिपला, कस्तुलिया, लुआबासा, घोड़ाबांधा, धनचटानी एवं खाखरीपाड़ा में पिपला मोड (NH-33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ निर्माण कार्य हेतु वन भूमि अपयोजन के लिये अनापति प्रमाण पत्र हेतु वन अधिकार समिति का बैठक आहुत कर कार्यवाही भेजने हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल जमशेदपुर का पत्र संख्या–1089, दिनांक–26.05.2017 को संलग्न कर प्रेषित किया गया था। पुनः कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल जमशेदपुर के पत्रांक–834, दिनांक–25.04.2018 द्वारा ग्राम कस्तुलिया का संशोधित वनभूमि का रक्वा का प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध किया गया।

(ii) कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल जमशेदपुर ने उक्त पत्र द्वारा अनुरोध किए है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के धालभूम अनुमण्डलान्तर्गत जमशेदपुर अंचल के मौजा–भागाबांध, पिपला, करस्तुलिया, लुआबासा, घोड़ाबांधा, धनचटानी एवं खाखरीपाड़ा में पथ निर्माण कार्य के लिए ग्राम करस्तुलिया का संशोधित वन भूमि अपयोजन हेतु संशोधित प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अन्तर्गत अनापत्ति निर्गत किया जाय।

(iii) कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल जमशेदपुर द्वारा वन भूमि अपयोजन हेतु प्राप्त संशोधित प्रस्ताव को अंचल अधिकारी जमशेदपुर के माध्यम से ग्रामसभा एवं वन अधिकार समिति के समक्ष रखा गया तथा अंचल अधिकारी, जमशेदपुर का पत्रांक–973, दिनांक–08.05.18 के द्वारा ग्राम सभा तथा ग्राम वन अधिकार समिति, कस्तुलिया का मन्तव्य एवं अनापत्ति प्राप्त किया गया।

(iv) पर्यावरण और वन मंत्रालय (MOEF), भारत सरकार के पत्रांक –11–9/98–FC(pt) दिनांक – 3 अगस्त, 2009, दिनांक–05.07.2013 तथा दिनांक–15.01.2014 के अनुपालन हेतु जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिकार के निपटान की प्रक्रिया, जिसमें वन भूमि पर गैर वन उद्देश्यों के लिए अपयोजन का प्रस्ताव है, को आरम्भ से लेकर समाप्त करने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर दिशा निर्देश जारी किए गए है। जिसके आलोक में यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि, जिसपर पिपला मोड (NH-33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ निर्माण कार्य हेतु मौजा–भागाबांध, वन भूमि अपयोजन के लिए (वन भूमि के अपयोजन का उद्देश्य) प्रस्तावित है, वह वन भूमि पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूम अनुमण्डलान्तर्गत जमशेदपुर अंचल के मौजा–करस्तुलिया के अधिकार क्षेत्र के भीतर आती है।

(v) पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल जमशेदपुर का वन विभाग की भूमि का अपयोजन हेतु ग्राम वन अधिकार समिति की सहमति प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है:–

Executive Engineer
RCD Road Division
Jamshedpur

| क्र० सं० | अंचल का नाम | मौजा/ग्राम का नाम | थाना संख्या | भूमि विवरणी | प्लॉट संख्या | इस कार्यालय के ज्ञापांक–1130, दिनांक 14.10.17 द्वारा पूर्व में पारित वन भूमि का रकवा (एकड़ में) | संशोधित वन भूमि का रकवा, (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गालमुरी-सह-जुगसलाई | कस्तुलिया | 1206 | जंगल–झाडी | 213 | 0.18 | 0.217 |
| | | | | जंगल–झाडी | 118 | 0.02 | 0.718 |
| | | | | R/F | R/F | 5.18 | 4.830 |
| | | | | जंगल–झाडी | 119 | 0.10 | 0.00 |
| Sub-Total in KASTULIYA Village (एकड़ में) | | | | | | 5.48 | 5.765 OR 5.77 |
| अपयोजित वन भूमि का संशोधित कुल रकवा | | | | | | 5.77 एकड़ | |

(vi) प्रमाणित किया जाता है कि पिपला मोड (NH-33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित संशोधित वन भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।

(vii) यह प्रमाणित किया जाता है कि अपयोजन के लिए उपरोक्त वर्णित प्रस्तावित समस्त वन भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनिमय, 2006 के अन्तर्गत अधिकारों के पहचान और निपटान के लिए पूरी प्रक्रिया समाप्त की गई। संबंधित ग्राम वन अधिकार समिति की सभी परामर्श और बैठकों के अभिलेख की मूल प्रति Annexure–1 to ..2.........के रूप में संलग्न है।

(viii) प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध मे की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

(ix) यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित वन भूमि का अपयोजन अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार आदिम जनजातीय समूहों तथा आदिम कृषक समुदाय के अधिकारों की विशेष रूप से रक्षित की गई है।

(x) यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित वन भूमि का अपयोजन अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

सर्वसम्मति से विचारोपरान्त पिपला मोड (NH-33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ निमार्ण कार्य के लिए वनभूमि अपयोजन हेतु संशोधित प्रस्ताव एवं अनापत्ति जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के पास भेजने हेतु निर्णय लिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

धीरेन भुईयाँ 19/05/2018

श्री धीरेन भुईयाँ,
पंचायत समिति सदस्य,
भुला पंचायत–सह–सदस्य

शिवानी सिंह

श्रीमती शिवानी सिंह,
पंचायत समिति सदस्य,
हितकु–सह–सदस्य

श्रीमती सुकूरमुनी टुडू,
प्रमुख, पोटका, प्रखण्ड,
–सह–सदस्य

19/5/18

सहायक वन संरक्षक,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
–सह–सदस्य

19/5/18

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
धालभूम, जमशेदपुर,
–सह–सदस्य

19/5/18

अनुमण्डल पदाधिकारी,
–सह–अध्यक्ष,
अनुमण्डल वन अधिकार समिति
धालभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक–603 / सा0, दिनांक– 19/5/18

[illegible] सभी संबंधित समिति के सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

[illegible] वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल/अंचल अधिकारी जमशेदपुर/ ~~कार्यपालक~~ [illegible] अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई [illegible] प्रेषित।

[illegible] उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

882
19/5/18

अनुमण्डल पदाधिकारी,
–सह–अध्यक्ष,
अनुमण्डल वन अधिकार समिति,
धालभूम, जमशेदपुर।

Executive Engineer
RCD Road Division
Jamshedpur

1. पथ प्रमण्डल जमशेदपुर अंतर्गत पिपला मोड़(एन०एच०–33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक तक पथ निर्माण कार्य हेतु मौजा भागाबांध, पिपला, कस्तुलिया, लुआबासा, घोड़ाबांधा, धानचटानी एवं खाखरीपाड़ा जमशेदपुर में चिन्हित वन भूमि अपयोजन के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–605/सा०, दिनांक–19.05.2018 के द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को अनुरोध किया गया है । उक्त परियोजना हेतु कुल 5.77 एकड़ वन भूमि के अपयोजन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय ।

2. अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक–605/सा०, दिनांक–19.05.2018 के द्वारा जमशेदपुर अंतर्गत पिपला मोड़(एन०एच०–33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक तक पथ निर्माण के लिए FRA 2006 के प्रावधानों के तहत वन भूमि अपयोजन के लिए अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के बैठक की कार्यवाही प्रेषित की गई है जिसमें उनके द्वारा निम्नांकित विवरणी की भूमि के अपयोजन हेतु ग्राम वन अधिकार समिति एवं ग्राम सभा द्वारा दिए गए सहमति पर दिनांक–19.05.2018 को अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक में विचार–विमर्श किया गया एवं संबंधित भूमि के अपयोजन हेतु सहमति प्रदान की गई :–

| क्र० सं० | अंचल का नाम | मौजा/ग्राम का नाम | थाना संख्या | भूमि विवरणी | प्लॉट संख्या | इस कार्यालय के ज्ञापांक–1130, दिनांक–14.10.17 द्वारा पूर्व में पारित वन भूमि का रकवा (एकड़ में) | संशोधित वन भूमि का रकवा (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलमुरी –सह – जुगसलाई | कस्तुलिया | 1206 | जंगल–झाडी | 213 | 0.18 | 0.217 |
| | | | | जंगल–झाडी | 118 | 0.02 | 0.718 |
| | | | | R/F | R/F | 5.18 | 4.830 |
| | | | | जंगल–झाडी | 119 | 0.10 | 0.00 |
| Sub-Total in KASTULIYA Village(एकड़ में) | | | | | | 5.48 | 5.765 OR 5.77 |
| अपयोजित वन भूमि का संशोधित कुल रकवा | | | | | | **5.77 एकड़** | |

3. नवीकरण/अपयोजन के लिए प्रस्तावित जमशेदपुर में पिपला मोड़(एन०एच०–33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक तक पथ निर्माण निर्माण के लिए 5.77 एकड़ भूमि के लिए FRA अन्तर्गत अधिकारों के पहचान और निपटान के लिए पूरी प्रक्रिया समाप्त की गई ।

21/06/2018

21/6/18

21/6/18

Executive Engineer
RCD Road Division
Jamshedpur

4. सभी नवीकरण/अपयोजन प्रस्ताव FRA के अन्तर्गत मान्य सभीसंबंधित वननिवासी ग्राम सभाओं के समक्ष रखे गये हैं ।

5. सभी संबंधित ग्राम सभा ने प्रमाणित किया है कि FRA के तहत् सभी औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है और यह उन्होंने प्रस्तावित नवीकरण/अपयोजन, मुआवजा और प्रगतिशील उपायों, (अगर कोई हो) को प्रस्तावित अपयोजन के उद्देश्य और विवरण समझने के पश्चात अपनी सहमति दे दी है ।

6. इस तरह के प्रस्तावो पर चर्चा और निर्णय जब लिया गया तब ग्राम सभा में सदस्यों की उपस्थित 50% से अधिक थी ।

7. उपरोक्त वर्णित वन भूमि का नवीकरण/अपयोजन अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) को प्रभावित नहीं करता है।

8. उपरोक्त वर्णित वन भूमि के संबंध मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (ई) के अनुसार आदिम जनजातीय समूहों तथा आदिम कृषक समुदाय के अधिकारों की विशेष रुप से रक्षा की गई है।

अतः धालभूम, जमशेदपुर अनुमण्डल अन्तर्गत उपरोक्त विवरणी के संदर्भ में जम जमशेदपुर में पिपला मोड़(एन०एच०–33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक तक पथ निर्माण निर्माण के लिए 5.77 एकड वन भूमि के नवीकरण/अपयोजन हेतु अनुमण्डल वन अधिकार समिति धालभूम, जमशेदपुर की अनुशंसा के आलोक में पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल जमशेदपुर, झारखण्ड सरकार को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया ।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

| | | |
|---|---|---|
| 21/6/18 | 21/6/18 | देवयानी मुर्मू 21/06/2018 |
| श्रीमती आरती सामद,<br>जिला परिषद् सदस्या, धालभूमगढ़। | श्री सत्यवान नायक,<br>जिला परिषद् सदस्य, बहरागोड़ा। | श्रीमती देबयानी मुर्मू,<br>जिला परिषद् सदस्य, घाटशिला । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21/6 | 21/6/18 | 21/06/18 | 21.6.18 |
| जिला कल्याण पदाधिकारी,<br>जिला पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर। | उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,<br>गज परियोजना<br>पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। | वन प्रमण्डल पदाधिकारी,<br>वन प्रमण्डल, जमशेदपुर। | उपायुक्त,<br>पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। |

Executive Engineer
RCD Road Division
Jamshedpur

Annexure-3

# जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय

## पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

## (कल्याण शाखा)

दिनांक–21.06.2018 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तत्संबंधी नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत पथ प्रमण्डल जमशेदपुर अंतर्गत पिपला मोड़(एन०एच०33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक तक पथ निर्माण कार्य में अपयोजित होनेवाली वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसकी कार्यवाही निम्न प्रकार है :–

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, जमशेदपुर की बैठक दिनांक–21.06.2018 को उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।
2. उप वन संरक्षक प्रमण्डल, गज परियोजना निदेशक, जमशेदपुर।
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल ।
4. जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।
5. श्रीमती आरती सामद, जिला परिषद् सदस्य, धालभूमगढ़ ।
6. श्रीमती देबयानी मुर्मू, जिला परिषद् सदस्य, घाटशिला ।
7. श्री सत्यवान नायक, जिला परिषद् सदस्य, बहरागोड़ा ।

21/6/18

21/6/18

Executive Engineer
RCD Road Division
Jamshedpur